

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-  
पेस), आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7<sup>वीं</sup> मंज़िल,  
प्लॉट P-6,7,8, से.-5, आई.एम.टी. मानेसर,  
गुडगाँव, हरियाणा - 122050.  
Email: roc.cpace@mca.gov.in



Government of India  
Ministry of Corporate Affairs  
Centre for Processing Accelerated  
Corporate Exit (C-PACE)  
IICA Building, 7<sup>th</sup> Floor,  
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,  
Gurgaon, Haryana - 122050.

**प्रारूप संख्या एसटीके-6**

**सार्वजनिक सूचना**

(कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में)

सार्वजनिक नोटिस No.ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/1013

दिनांक : -14.02.2024

**संदर्भ:**

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत राजस्थान राज्य में निम्नलिखित 8 कम्पनी का नाम हटाने के मामले में:

S. No	Work Item	CIN	हिंदी नाम
1	AA6691556	U29212RJ1996PTC012015	रकोज एगो प्राइवेट लिमिटेड
2	AA6362760	U24114RJ1989PTC004809	चेमपॉइंट (इंडिया) पी लिमिटेड
3	AA6769272	U14106RJ2011PTC036097	साबू रिफ्रैक्टरी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
4	AA6693778	U25209RJ2020PTC071766	कुशालबाग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
5	AA6696970	U74999RJ2021PTC077376	एरो फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
6	AA6734355	U72900RJ2023PTC085896	वेहिकुलम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
7	AA6785367	U56102RJ2023PTC088031	टांगरी बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AA6769425	U72200RJ2022OPC082056	बिनोवेशन टेक्नोसॉफ्ट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त



कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है
4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

(हरिहर साहू)  
रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07/23/11/0455/2324